न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्र0सं0, 112/2024,(जी.सी.एम.एस. न. 2010/00040) पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

थानसिंह पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी ग्राम पूँछरी तहसील डीग - **मृतक,**

1/1. कृष्ण बल्देव
1/2. राधारमन } पुत्रगण थानसिंह जातियान जाट नि0ग्राम पूँछरी तहसील डीग (भरतपुर) राज0
1/3. जीतेन्द्र

1/4. रामवती पत्नी थानसिंह जाति जाट निवासी पूँछरी तहसील डीग

1/5. सुमित्रा पुत्री थानसिंह पत्नी लक्ष्मनसिंह } जातियान जाट नि0 अजान तहसील कुम्हेर
1/6. गायत्री पुत्री थानसिंह पत्नी वीरेन्द्रसिंह

1/7. आशादेवी पुत्री थानसिंह पत्नी जयप्रकाश जाति जाट नि0 सोंख तहसील व जिला मथुरा (उ.प्र.)

1/8. विजयसिंह
1/9. सतीश } पुत्रगण हरगुनसिंह } जातियान जाट नि0 खुटिया पोस्ट पेंठा जिला मथुरा (उ.प्र.)
1/10. पूजा पुत्री हरगुन

-वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

-प्रति0

दावा बाव उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 27.03.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ. ख. नम्बर 414/0.08, वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग में स्थित है। उक्त आराजी साविक आ. ख. नम्बर 592/2 से बनाया गया है। उक्त आराजी वादी की की मिलकियत मकबूजियत की भूमि है जिसमें वादी का नौहरा बना हुआ है, जिसे वादी अरसे दराज से अपने उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है, यह भूमि पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आवादी के रूप में दर्ज है। वक्त सैटिलमेंट के द्वारा इस भूमि को किस्म परिवर्तित करते हुए इसे हाल रिकार्ड में गैर मुमकिन बगीची दर्ज कर दिया गया है। जबकि इस भूमि में कभी बगीची नहीं रही। सैटिलमेंट का ये कार्य विधि विरूद्ध व गलत है। उक्त आराजी से प्रति0 राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं रहा है फिर भी वह वादी के कब्जे में मदाखलत व मजाहमत करने पर वादी द्वारा सिविल न्यायाधीश(क0ख0)के यहां दावा प्रस्तुत किया गया जोकि दिनांक 01.08.2009 को वादी के पक्ष में निर्णीत हुआ। अतः निवेदन है कि आ.ख.नम्बर 414/0.08,वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग को को हाल रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

में गै0 मु0 आवादी किस्म दर्ज की जाकर वर्तमान में हो रहे गै0 मु0 बगीची के इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 08.09.2015 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक कायम किया गया। प्रति0 द्वारा जबाव दावा पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 30.01.2017 को जबाव दावा बन्द किया गया। साक्ष्य वादी में दिनांक 29.05.2017 को वादी कृष्ण वल्देव एवं गिल्लो के शपथ पत्र पर बयान दर्ज किये गये।

जबाव सरकार दिनांक 24.11.2021 में वर्णित किया गया है कि गत जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2024 में गत ख0 नम्बर 592/2 रकबा 19 विस्वा किस्म गै0मु0 आवादी (सरकार) दर्ज रिकार्ड है। जबकि हाल जमाबन्दी 2065-2068 में सिवायचक खादर हाल ख0 नम्बर 414 रकबा 0.08 गै0 मु0 बगीची दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण के सम्बन्ध में **तहसीलदार डीग से मौके की वर्तमान रिपोर्ट ली गई,** जिसमें तहसीलदार डीग ने अपने पत्रांकः भू0 अ0/22/1271 दिनांक 18.04.2022 में अंकित किया गया है कि आ0 ख0 नम्बर 414/0.08 वाके ग्राम पूँछरी गै0 मु0 बगीची के 1/2 हिस्से पर नौहरा थानसिंह पुत्र भजनलाल जाति जाट का बना हुआ है, मौके पर उक्त ख0 नम्बर गै0 मु0 बगीची के 1/4 हिस्से पर ग्राम से नहर की ओर रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू है। मौके पर ख0 नम्बर 414/0.08 गै0 मु0 वगीची के 1/4 हिस्से पर नैमसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट व शिवसिंह पुत्र रामजीत जाति जाट निवासी पूँछरी के नौहरे बने हुए है।

दिनांक 03.03.2025 को दावे में वादी कृष्ण वल्देव पुत्र थान सिंह के बयान पीडब्ल्यू-1 दर्ज किये गये। तथा वादीगण के वकील ने आगे साक्ष्य नहीं कराया जाकर साक्ष्य वादीगण बंद किये जाने का अनुरोध किया गया। दिनांक 18.03.2025 को दावे पर वकील वादीगण ने लिखित बहस पेश की गई तथा पैरोकार सरकार तहसीलदार डीग की ओर से भी लिखित बहस पेश की गई जोकि शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया गया तथा वकील वादीगण के द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

दिनांक 21.03.2022 को वकील वादीगण ने खसरा नम्बर 414/0.08 का हाल उपयोग में मकानात बने हुए है या नौहरा या बगीची के रूप में पेड पौधे लगे है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने का आग्रह किया। दिनांक 28.06.22 को जबाव सरकार प्राप्त हुआ। दिनांक 13.12.22 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद सम्बत 2012 की जमाबन्दी रिकार्ड पेश नहीं करने की स्थिति के आधार पर दावा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय भरतपुर में अपील की गई। न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपील संख्या 03/23 निर्णय दिनांक 22.06.23 को अपने निर्णय में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.22 अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पक्षकार को सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए दावे एवं जबाव दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर विधि अनुकूल निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.07.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवे। प्रकरण दिनांक 12.07.2023 को पुनः दर्ज किया गया। दिनांक 28.02.2024 को तनकीयात कायम की

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

गई। दिनांक 08.04.2024 को वकील वादीगण के द्वारा जमाबन्दी सम्बत 2012 पेश की गई। दिनांक 11.06.2024 को इस न्यायालय द्वारा वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से साबिक नहीं होने तथा विवादित भूमि आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत वाधित होने एवं दावे में वर्णित किस्म परिवर्तन न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं में नहीं होने से दावा खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्व वादीगण ने अपील संख्या 16/2014 न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में दायर की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.11.2024 को अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2024 को अपास्त कर प्रकरण पक्षकारों को समुचित सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए विधि अनुकूल निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रषित किया गया। दिनांक 30.12.2024 को प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.3.2025 को पीडब्ल्यू-1 कृष्ण वल्देव पुत्र थान सिंह के बयान दर्ज कराये गये। वकील पक्षकार ने साक्ष्य बंद करने का निवेदन किया। दिनांक 08.03.2025 को वकील वादीगण ने लिखित बहस पेश की। दिनांक 27.03.2025 को पैरोकार सरकार ने लिखित बहस पेश की। वकील वादीगण ने लिखित बहस में कथन किया है कि वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 13.11.2024 की पालना में वादी कृष्ण वल्देव के बयान कराये गये व दस्तावेजी साक्ष्य में सम्बत 2012 की जमाबन्दी पेश की गई। ग्राम पूँछरी में खसरा नम्बर 414 रकबा 0.08 खसरा नम्बर को भू-प्रबंध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 592/2 से बनाया गया है। राजस्व अभिलेख में गत खसरा नम्बर 592/2 गैर मुमकिन आवादी दर्ज है,परन्तु भू-प्रबंध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 414 रकबा 0.08 में किस्म गैर मुमकिन आबादी के वजाय गै0मु0बगीची दर्ज की गई है जोकि गलत है। मौके पर कोई बगीची नहीं है वल्कि मिल्कियत की भूमि है जिसमें नौहरा बना हुआ है। जिसका निर्माण वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत की मंजूरी लेकर किया गया है। क्योंकि आबादी की भूमि ग्राम पंचायत मे निहित होती है। वादीगण के पक्ष में इस भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व उनकी उपस्थिति में दिनांक 01.08.2009 को डिक्री पारित की गई है जो नातिल आदेश है। वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 22.06.2023, 13.11.2024 की पालना की गई है और सबूत के दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल हाल जमाबन्दी सम्बत 2012 व मौखिक साक्ष्य में वादी के बयान व पडौसियों के बयान परीक्षित कराये गये है। वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से बखूबी सावित किया है। पैरोकार सरकार ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि उपरोक्त उनवान के सम्बन्ध में पूर्व में इस न्यायालय के उनवान प्रकरण संख्या 63/2010 एवं 47/2023 में मामला निरस्त फरमाया गया है। जमावन्दी सम्बत 2012 की नंकल सावित खसरा नम्बर 592/2 रकबा 19 विस्वा का इन्द्राज नहीं है। जिस पर प्रदर्श-5 लाल स्याही से दर्ज है। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश डीग के उनवान दीवानी प्रकरण संख्या 36/2007 में निर्णय दिनांक 01.08.2009 से इन्द्राज दुरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान नहीं किये गये है। जिस पर प्रदर्श-4 दर्ज है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.06.2024 को विवादित आराजी आर. टी.एक्ट की धारा 16 के तहत वाधित होने से किस्म परिवर्तन का अधिकार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

हमने वादीगण के वाद पत्र, पैरोकार सरकार के जबाव,गवाह पीडब्ल्यू-1 कृष्ण वल्देव, पीडब्ल्यू-2 गिल्ली के बयान, तहसीलदार डीग की दिनांक 18.04.2022 की रिपोर्ट, तहसीलदार डीग की दिनांक 05.06.2024 की रिपोर्ट,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत 2065 से 2068 वाके ग्राम पूँछरी खसरा नम्बर 414 रकबा 0.08 किस्म गै.मु. बगीची सिवायचक खाता संख्या 1 में खादर भूमि वर्गीकरण के अन्तर्गत दर्ज है। खादर भूमि नई जलोढ मिटटी होती है। जो नदियों के बाढ पानी के साथ वहकर आती है। यह भूमि खेती के लिए उपयुक्त होती है। प्रदर्श-3 भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 414/0.08 साविक खसरा नम्बर 592/2 मिन रकबा 19 विस्वा से मिलकर बना है। प्रदर्श-2 जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 592/2 रकबा 1 वीघा 19 विस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। जो कॉलम संख्या 5 में भी आबादी देह दर्ज है। प्रदर्श-4 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) डीग प्रकरण संख्या 36/07, निर्णय दिनांक 01.08.2009 में आदेश है कि वादी थान सिंह का वाद विरूद्व तहसीलदार वगै0 डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पावंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादपत्र की मद संख्या दो में वर्णित नौहरा में वादी के अधिकारों में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें। वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें तथा नौहरा के चारों तरफ से बनी पक्की चार दीवारी पर कोई तोडफोड नहीं करें व ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक वादी जायल हो। प्रदर्श-5 जमाबन्दी सम्बत 2012 में साविक खसरा नम्बर 592 रकबा 1 वीघा 19 विस्वा किस्म गैर मुमकिन आवादी मकबूजा मालकान कॉलम नम्बर 5 में व कॉलम नम्बर 4 में श्यामवात देह दर्ज है। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया और उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गई।

<u>तनकी संख्याः-1</u>, आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 414/0.08 वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। प्रदर्श-1,जमाबन्दी सम्बत 2065 से 2068 वादी वाके ग्राम पूँछरी खसरा नम्बर 414 रकबा 0.08 किस्म गै0मु0बगीची सिवायचक खाता संख्या 1 में खादर भूमि वर्गीकरण के अन्तर्गत दर्ज है। खादर भूमि नई जलोढ मिट्टी होती है। यह भूमि खेती के लिए उपयुक्त होती है। प्रदर्श-3 भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040के अनुसार हाल खसरा नम्बर 414/0.08 साविक खसरा नम्बर 592/2 मिन रकबा 19 विस्वा से मिलकर बना है। प्रदर्श-2 जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 592/2 रकबा 1 वीघा 19 विस्वा किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है,जो कॉलम नम्बर 5 में भी आबादी देह दर्ज है। प्रदर्श-4 न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क0ख0) डीग प्रकरण संख्या 36/07, निर्णय दिनांक 01.08.2009 में आदेश है कि वादी थान सिंह का वाद विरूद्व तहसीलदार वगै0 डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय का स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पावंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादपत्र की मद संख्या दो में वर्णित नौहरा में वादी के अधिकारों में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें। वादी को उसके कब्जे से बेदखल नहीं करें तथा नौहरे के चारों तरफ से बनी पक्की चारदीवारी पर कोई तोडफोड नहीं करें व ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हकूक वादी जायल हो। प्रदर्श-5 जमाबन्दी सम्बत 2012 के साविक खसरा नम्बर 592 रकबा 1 वीघा 19 विस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी मकबूजा मालकान कॉलम नम्बर 5 में व कॉलम नम्बर 4 में श्यामवात देह दर्ज है। तहसीलदार डीग की दिनांक 18.04.2022 की रिपोर्ट के मुताविक खसरा नम्बर 414/0.08 वाके ग्राम पूँछरी किस्म गैर मुमकिन बगीची के 1/2 हिस्से पर नौहरा थान सिंह पुत्र भजनलाल जाति जाट का बना हुआ है। 1/4 हिस्से पर ग्राम से नहर की ओर रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू है। मौके पर खसरा नम्बर 414/0.08 गै0मु0 बगीची के 1/4 हिस्से पर नैमसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट व शिवसिंह पुत्र रामजीत जाति जाट निवासी पूँछरी के नौहरे बने हुए है। तहसीलदार डीग की दिनांक 05.06.2024 की रिपोर्ट के मुताविक खातेदार के वारिसानों ने लगभग 20 से 25 साल पहले से 25x18=450 वर्ग मीटर में वाउन्ड्रीवॉल करके कब्जा पूर्व से चला आ रहा है तथा वाउन्ड्रीवॉल के अन्दर तीन कमरे व टीनसेड डाल रखा है। उक्त खसरा नम्बर के दोनों तरफ उत्तर व पश्चिम में रास्ता ग्राम के लिए जा रहा है। उक्त खसरा नम्बर में कोई पेड व कुआ नहीं है। पैरोकार सरकार के उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के प्रकरण संख्या 63/2010 एवं 47/2023 के प्रकरण को पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

खारिज किये जाने के आधार पर खारिज करने की मांग की है। जबकि उक्त दोनों निर्णय माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा अपास्त कर दिये गये है। तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है। हाल खसरा नम्बर 414/0.08की किस्म गैर मुमकिन बगीची के स्थान पर साविक खसरा नम्बर 592/2 मिन रकबा 1 वीघा 19 विस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी पूर्व प्रविष्टियों के आधार पर गैर मुमकिन बगीची के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया जाना स्वीकार किया जाता है।

तनकी संख्याः-2,आया वादीगण जबाव सरकार की मद संख्या 10 अनुसार दावा वादीगण काबिले खारिजी के है?

तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णीत की जा चुकी है। जबाव सराकर की मद संख्या 10 वादीगण के विरूद्व नहीं है। हाल रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी सिवायचक खाने में है। किस्म गैर मुमकिन बगीची दर्ज है। जिस पर वादीगण का कब्जा है। माननीय सिविल न्यायाधीश(क0ख0)डीग प्रकरण संख्या 36/07 निर्णय दिनांक 01.08.2009 वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद कर चुका है। तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से साबित होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 414/0.08 वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग में वर्णित किस्म गैर मुमकिन बीगीची के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दर्ज किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकिन बगीची के इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner